(...) 15/3/22

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/11/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/65

अपीलार्थी

श्री हंसराज यादव पुत्र श्री मंगलराम,
गांव–कल्याणपुरा, तहसील–बहरोड,
जिला–अलवर (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 18.02.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 12.04.2022

1. अपीलार्थी अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 15.12..2021 के माध्यम से वर्ष 2011 से आवेदन दिनांकः 15.12.2021 तक जिला अलवर में/अधीनस्थ नाम शुद्धीकरण के कितने मामले आये तथा उनमें कितने नामों का शुद्धीकरण किया गया, के संबंध में 10 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 25.01.2022 के माध्यम से संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर को प्रथम विभागीय अपील प्रस्तुत की गई जो उनके पत्रांकः 68 दिनांकः 03.02.22 के माध्यम से इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई। उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।
5. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं किन्तु पत्र सं. 501 दिनांकः 21.02.22 के माध्यम से, जिसकी प्रति संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर व अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, जवाब नोटिस मय संलग्नक पेश किया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये तथ्यों व प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर गौर/मनन किए जाने पर पाया गया कि प्रश्नगत वांछित सूचना जिले के समस्त तहसील कार्यालयों से संबंधित है जिसे समस्त तहसील कार्यालयों से संकलित कर उपलब्ध कराने की वांछा प्रत्यर्थी से की गई है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के तहत उचित नहीं है। उक्त के अतिरिक्त सूचना आवेदन का समग्रतापूर्वक मनन किए जाने पर वांछित सूचनाओं की विषयवस्तु अत्यन्त विस्तृत, श्रमसाध्य, नियंत्रणाधीन कार्यालयों से एकत्रित/संकलित/सृजित कर उपलब्ध कराई जाने सूचना होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1)(बी) एवं धारा 7(9) के तहत देय नहीं है।
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
8. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर को भी प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 12.04.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर